

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 108/2022

दायर दिनांक 08.03.2022

प्रतिवादीगण

वादी

1. भंवरलाल पुत्र रतनाराम,
2. सुनार देवी पत्नि भंवरलाल
समस्त जाति जाट
निवासीगण बांसा तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राज0।

बनाम्

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 29.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण ग्राम बांसा के स्थायी निवासी है। जिनकी चल व अचल सम्पत्ति ग्राम बांसा में अवस्थित है तथा संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 734 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा, खसरा सं0 735 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा, खसरा सं0 736 रकबा 0.0300 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा वाकै शरहद बांसा में अवस्थित है।

यह है कि उक्त भूमि के चिपते ही पूर्व दिशा की तरफ आवादी की भूमि है तथा पश्चिम दिशा की तरफ आम सड़क है।

यह है कि वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का कोई कुआ अथवा उसका आलामात नहीं है। उक्त भूमि मौके पर पूर्णरूप से समतल है तथा वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आती है जो नजरी नक्शे में मार्क ए से वी दर्शायी हुई है।

यह है कि वादीगण उक्त भूमि को रास्ते के रूप में काम में ले रहे है तथा उक्त भूमि रास्ते के उपयोग उपभोग की है परन्तु वर्तमान में रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज होने से उक्त भूमि पर रास्ते पर मिलने वाले अधिकार वादी को प्राप्त नहीं हो रहे है। जिससे वादी नजरी नक्शा में दर्शाया भूमि मार्क ए से वी भाग को रास्ता में दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-

यह है कि खसरा सं0 734 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा, खसरा सं0 735 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा, खसरा सं0 736 रकबा 0.0300 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा वाकै शरहद बांसा में नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क ए से वी भाग की भूमि रास्ता की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष में वादी भंवरलाल का शपथ पत्र पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 135 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे वाद तस्दीक सामिल मिसाल की गई। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया। वावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, वाद विवेचन, वाद वादी डिग्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नाभौर)




—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम बांसा के खसरा सं० 734 रकबा 0.0100 हैक्टे० गै० मु० बेरा, खरास सं० 735 रकबा 0.0400 हैक्टे० गै० मु० बेरा, खसरा सं० 736 रकबा 0.0300 हैक्टे० गै० मु० बेरा की भूमि में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।


(कार्तिकेय सीमा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 29.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय सीमा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 108/2022

दायर दिनांक 08.03.2022

- वादी
- भंवरलाल पुत्र रतनाराम,
 - सुनर देवी पत्नि भंवरलाल
- समस्त जाति जाट
निवासीगण बांसा तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

- तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 29.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम बांसा के खसरा सं0 734 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा, खरास सं0 735 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा, खसरा सं0 736 रकबा 0.0300 हैक्टे0 गै0 मु0 बेरा की भूमि में तहसीलदार की रिपोर्ट डीडवाना व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

| मुद्दई | रुपया | पैसे | मुदायलह | रुपया | पैसे |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | - | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | - | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफरिंक | | |
| मुतफरिंक | | | | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)